

बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग

संख्या- प्र०२/ल०ज०सं०/बजट/कार्यालय व्यय- 09/2026-175 /पटना, दिनांक- 13/7/26

प्रेषक,

राजीव कुमार झा
सरकार के उप सचिव ।

सेवा में,

अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, पटना ।

E-Mail

मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर

अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल, मुजफ्फरपुर/भागलपुर ।

कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल,

लखीसराय/अरवल/शेखपुरा/बेगूसराय/नवादा/औरंगाबाद/खगड़िया/कटिहार/गोपालगंज ।

विषय- वित्तीय वर्ष 2026-27 में लघु सिंचाई स्थापनान्तर्गत कार्यालय व्यय इकाई में अतिरिक्त आवंटन ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय CFMS-2.0 प्रणाली द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में लघु सिंचाई स्थापनान्तर्गत कार्यालय व्यय इकाई में बजट उपबंध के अंतर्गत निम्न विवरणी में कार्यालयों के सामने अंकित कुल-25.00 लाख (पच्चीस लाख) रुपये मात्र का अतिरिक्त आवंटन दिया जाता है :-

(राशि लाख रुपये में)

क्र०	कार्यालय का नाम	पूर्वावंटन	अतिरिक्त आवंटन	कुल आवंटन
1	2	3	6	7
1	कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, लखीसराय	0.50	2.000	2.500
2	अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, पटना	0.50	2.000	2.500
3	कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, अरवल	0.50	2.000	2.500
4	कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, शेखपुरा	0.50	2.000	2.500
5	कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, बेगूसराय	0.50	2.000	2.500
6	कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, नवादा	0.50	2.000	2.500
7	मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर	0.50	2.000	2.500
8	अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल, मुजफ्फरपुर	0.50	1.000	1.500
9	कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, औरंगाबाद	0.50	2.000	2.500
10	अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल, भागलपुर	0.50	2.000	2.500

11	कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, खगड़िया	0.50	2.000	2.500
12	कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, कटिहार	0.50	2.000	2.500
13	कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, गोपालगंज	0.50	2.000	2.500
योग:-		6.50	25.000	31.500

2. वित्तीय वर्ष 2026-27 में आवंटित राशि का व्यय निम्नांकित बजट शीर्ष के अन्तर्गत विकलनीय होगा :-

I.	अनुदान माँग संख्या-	:	50
II.	मुख्य शीर्ष-	:	2702-लघु सिंचाई
III.	उप मुख्य शीर्ष-	:	02-भू-जल
IV.	लघु शीर्ष-	:	005-अन्वेषण
V.	उप शीर्ष-	:	0001-सर्वेक्षण एवं जाँच
VI.	विपत्र कोड-	:	50-2702020050001
VII.	विस्तृत शीर्ष/विषय शीर्ष-	:	13.01 कार्यालय व्यय

- आवंटित राशि बजट में उपबन्धित राशि के सीमाधीन है। किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाय तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही नियमानुसार भुगतान की कार्यवाई की जाय।
- संबंधित कार्यालय प्रधान द्वारा उक्त मद में आवंटित राशि से नियमानुसार व्यय किया जाय।
- आवंटित राशि के विरुद्ध किसी भी प्रकार की छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी एवं व्ययन तथा वित्तीय अनुशासनहीनता की पूरी जिम्मेवारी संबंधित कार्यालय प्रधान के रूप में अभियंता प्रमुख/संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता एवं संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी दोनों की होगी।
- उक्त आवंटित राशि की निकासी संबंधित अभियंता प्रमुख/मुख्य अभियंता/संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता एवं संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा नियमानुसार की जायेगी।
- उक्त आवंटित राशि की निकासी संबंधित कोषागार से की जायेगी।
- उक्त आवंटन राशि के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन एवं विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
- व्यय प्रतिवेदन विभाग/महालेखाकार, बिहार, पटना को प्रत्येक माह की 10 (दस) तारीख तक निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाये।
- उक्त आवंटन आदेश वित्त विभाग के पत्र संख्या- 2561 दिनांक- 17/04/98 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

विश्वासभाजन

(राजीव कुमार झा)
सरकार के उप सचिव

E-Mail

ज्ञाप संख्या-

175

/पटना, दिनांक-13/7/26

प्रतिलिपि-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन/ विश्वेश्वरैया भवन, पटना/सभी सम्बन्धित जिला कोषागार पदाधिकारी/सम्बन्धित प्रमण्डलीय आयुक्त/ संबंधित उप विकास आयुक्त/ सम्बन्धित जिला पदाधिकारी/ महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या-

175

/पटना, दिनांक-13/7/26

प्रतिलिपि- माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, लघु जल संसाधन विभाग/अपर सचिव/ प्रबंध निदेशक, भाल्को, पटना/उप सचिव/ अभियंता प्रमुख/सम्बन्धित मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग/ सम्बन्धित अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल/आई०टी० मैनेजर, कम्प्यूटर कोषांग विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के उप सचिव

8 f